R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड IV ◆ अंक 9
मार्च 2008

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

एटीएम के प्रयोग के लिए सेवा-शुल्क

रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को निम्नानुसार स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) के प्रयोग के लिए संशोधित सेवा-शुल्क लागू करने के लिए सूचित किया है :

क्र. सं.	सेवा	शुल्क
1	किसी भी प्रयोजन हेतु अपने एटीएम का प्रयोग	निःशुल्क (तत्काल प्रभाव से)
2	जमाशेष जानने के लिए अन्य बैंक के एटीएम का उपयोग	निःशुल्क (तत्काल प्रभाव से)
3	नकदी-आहरण के प्रयोजन से	• कोई भी बैंक 23 दिसंबर 2007 को अन्य बैंक के एटीएम का (अर्थात आरबीआई वेबसाइट पर दृष्टिकोण उपयोग पेपर जारी होने की तारीख) लागू शुल्क में कोई वृद्धि नहीं करेगा। • जो बैंक प्रति लेन-देन 20/- रुपये से ज्यादा शुल्क वसूल कर रहे हैं, वे 31 मार्च 2008 तक अपनी अधिकतम शुल्क दर को घटाकर प्रति लेनदेन 20/- रुपये करें। • एक अप्रैल 2009 से निःशुल्क।

उपर्युक्त 1 और 2 में उल्लिखित सेवाओं के लिए किसी भी शीर्ष के अंतर्गत ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाए तथा सेवा पूर्णतया निःशुल्क होनी चाहिए।

उपर्युक्त 3 में उल्लिखित सेवा के लिए इंगित 20/- रुपये की राशि में सभी अन्य शुल्क शामिल हैं और आहरित राशि की मात्रा पर ध्यान दिए बगैर किसी भी अन्य शीर्ष के अंतर्गत ग्राहक से कोई अन्य शुल्क वसूल नहीं किया जाए।

निम्नांकित प्रकार के नकदी आहरणों पर सेवा-शुल्क का निर्धारण करने हेतु बैंक स्वतंत्र है:

- क्रेडिट कार्ड के जरिए नकदी-आहरण।
- विदेश में लगे किसी एटीएम से नकदी आहरण।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों के एटीएम की उपयोगिता और मूल्यांकन के मामले की जाँच की और आम जनता के अभिमत की माँग करते हुए 24 दिसंबर 2007 को एक दृष्टिकोण पेपर अपनी वेबसाइट पर डाला। प्राप्त अभिमत का विश्लेषण किया गया। प्रतिसूचना के आधार पर रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा एटीएम सेवाएं देने के लिए उनके द्वारा प्रभारित सेवा प्रभारों के लिए एक ढाँचे का उल्लेख किया है। आम जनता, बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आइबीए) से प्राप्त अभिमत के सारांश नीचे दिए गए है:

आम जनता से अभिमत : आम जनता से अभिमत अधिक मात्रा में इस सेवा को निःशुल्क बनाने तथा परिवर्धित पहुँच सुनिश्चित करने के पक्ष में था। कुछ ने यह प्रस्ताव किया है कि अप्रैल 2009 के बदले इस सेवा को शीघ्र निःशुल्क किया जाए। दूसरी ओर प्रतिक्रिया देनेवाले कुछ लोगों ने यह आशंका व्यक्त की है कि सेवा-प्रभार निःशुल्क करने के ऐसे प्रयास से अर्जक बैंकों द्वारा एटीएम की तैनाती में कमी हो सकती है।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
एटीएम के प्रयोग के लिए सेवा-शुल्क	1
बड़ी राशि के लेनदेनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान	2
आश्वासन पत्रों को जारी किया जाना	2
शाखा बैंकिंग	
6.5% बचत बांड 2003 (कर से इतर) की चुकौती	3
शहरी सहकारी बैंक	
भवन निर्माता/ठेकेदारों को अग्रिम	4
विनियामक प्रयोजनों के लिए शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण को संशोधित किया गया	4
ग्राहक सेवा	4

बैंकों के अभिमत : सभी प्रमुख बैंक ने जो आवश्यक रूप से एटीएम की भारी संख्या रखते है, बैंक ग्राहकों द्वारा एटीएम सुविधा तक परिवर्धित पहुँच के विनियामक प्रयास का स्वागत किया है। तथापि, कुछ ने यह प्रस्तावित किया है कि इस सेवा को पूर्णत: नि:शुल्क करने के बजाय या तो किसी तिमाही/माह में कई आहरण निर्धारित किया जा सकता है अथवा इसे अलग-अलग बैंकों के लिए छोड़ा जा सकता है। दो बैंकों ने सुझाव दिया है कि कुछ सांकेतिक प्रभार निर्धारित किया जाए।

भारतीय बैंक संघ ने अपने अभिमत में उल्लेख किया है कि बैंक व्यापक वित्तीय समावेशन और निष्पक्षता तथा प्रभार लगाने में पारदर्शिता के पक्ष में हैं। तथापि, बैंकों को भय है कि सुविधाजनक स्थानों पर नि:शुल्क एटीएम सेवाओं की उपलब्धता से लेनदेन की संख्या में वृद्धि हो सकती है और प्रति लेनदेन आहरित राशि में कमी हो सकती है। भारतीय बैंक संघ ने सुझाव दिया है कि अन्य बैंकों के एटीएम पर नि:शुल्क लेनदेन की संख्या को प्रतिमाह दो की संख्या तक सीमित किया जा सकता है। महानगरीय केंद्रों में भी नो-फ्रिल खातों के अलावा अन्य खातों के लिए न्यूनतम नकदी आहरण को 500 रुपए तक निर्धारित किया जा सकता है। शेष राशि की पूछताछ के लिए उच्चतम सीमा निर्धारित की जा सकती है क्योंकि ऐसे लेनदेन भी अंतर-विनिमयवाले होते हैं।

बैंकों/भारतीय बैंक संघ द्वारा अन्य सुझाव हैं -

(i) एटीएम पर तृतीय पक्ष विज्ञापन को बैंकों के लिए राजस्व संग्रह के रूप में अनुमति दी जाए।

(ii) व्हाइट लेबल एटीएम की अनुमति दी जाए।

(iii) विक्रय के बिन्दु पर नकदी आहरण की अनुमति दी जाए ताकि एटीएम पर भार को कम किया जा सके।

इस प्रकार यह पाया गया है कि यह दृष्टिकोण सामान्य रूप से स्वीकार किया जा सकता है। तृतीय पक्ष विज्ञापन, व्हाइट लेबल एटीएम और विक्रय के बिन्दु पर नकदी आहरण के सुझावों की पूर्व में गहराई से जाँच की गई और यह निर्णय लिया गया कि इसे कार्यान्वित नहीं किया जाए। परिस्थितियाँ उल्लेखनीय रूप से अपरिवर्तीत रही हैं जिसके कारण समीक्षा की आवश्यकता हुई। जहाँ तक किसी महीने में नि:शुल्क नकदी आहरणों की संख्या पर सीमा लगाने का संबंध है न तो यह वांछनीय है और न व्यावहारिक है।

बड़ी राशि के लेनदेनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान

रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बड़ी राशि के भुगतान अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से ही करें। जिस समय-सीमा के भीतर इसे किया जाना है वो निम्नानुसार है:

लेनदेन का प्रकार	समय-सीमा
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्थाओं जैसे बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के सभी भुगतान	1 अप्रैल 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित बाज़ारों जैसे मुद्रा बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार और विदेशी मुद्रा बाज़ार में 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के सभी भुगतान	1 अप्रैल 2008

आपको यह ज्ञात होगा कि रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित एक आंतरिक कार्यदल ने कागज़ी भुगतान प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में परिवर्तन संबंधी विभिन्न मामलों की जाँच की थी और यह सिफारिश की थी कि यह परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से, अर्थात् प्रोत्साहन, निगरानी और आदेशों के माध्यम से किया जाए। दल की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक दृष्टिकोण- पेपर रखा गया था जिसमें रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के बीच 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के लेनदेनों के लिए अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के उपयोग पर आम जनता से अभिमत माँगे गए थे।

आश्वासन पत्रों को जारी किया जाना

बैंकों द्वारा आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करने के मामले की जाँच करके रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करने का निर्णय लिया। संशोधित अनुदेश निम्नानुसार है :-

i) जारी प्रत्येक आश्वासन पत्र बैंक के निदेशक मंडल के पूर्वानुमोदन के अधीन होना चाहिए। आश्वासन पत्र जारी करने के लिए बैंकों को एक सुपरिभाषित नीति निर्धारित करनी चाहिए जिसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए बैंक किस निर्दिष्ट संचयी सीमा तक आश्वासन पत्र जारी कर सकते हैं। नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान होना चाहिए कि बैंक जारी किए गए आश्वासन पत्र के कानूनी रूप से बाध्यकारी स्वरूप के संबंध में एक विधिक अभिमत प्राप्त करके उसे अपने अभिलेख में रखेगा। जारी किए गए सभी आश्वासन पत्रों का रिकार्ड रखने के लिए एक उचित प्रणाली भी स्थापित की जानी चाहिए ।

ii) बैंक को कम-से-कम वर्ष में एक बार यह मूल्यांकन करना चाहिए कि उसके द्वारा निर्गत आश्वासन पत्रों के अंतर्गत स्वीकार किये गये दायित्व के अनुसार यदि उसे भारत स्थित या विदेश स्थित अपनी सहायक कंपनी का समर्थन करने के लिए कहा जाता है तो निर्गत और बकाया आश्वासन पत्रों के अंतर्गत संभावित वित्तीय प्रभाव क्या होगा। यह मूल्यांकन निर्णयात्मक आधार पर गुणात्मक रूप से किया जाना चाहिए और इस प्रकार मूल्यांकित राशि की रिपोर्ट वर्ष में कम-से-कम एक बार बोर्ड को दी जानी चाहिए। पहली बार इस प्रकार का मूल्यांकन उन सभी निर्गत आश्वासन पत्रों के संबंध में किया जाना चाहिए जो 31 मार्च 2008 को बकाया हैं और इसका निष्कर्ष बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन बैंक की चलनिधि योजना संबंधी कार्य का भी एक भाग होना चाहिए।

iii) श्रेणी निर्धारण एजेंसी/आंतरिक अथवा बाहरी लेखा परीक्षकों/आंतरिक निरीक्षकों अथवा रिज़र्व बैंक के निरीक्षण दल द्वारा यदि किसी आश्वासन पत्र का मूल्यांकन बैंक की आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है तो उसे सभी विवेकपूर्ण विनियामक प्रयोजनों के लिए बैंक द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी के समान समझा जाएगा।

iv) बैंकों को वर्ष के दौरान जारी किए गए सभी आश्वासन पत्रों के संपूर्ण ब्यौरे तथा उनका मूल्यांकित वित्तीय प्रभाव तथा पूर्व में उनके द्वारा जारी किए गए तथा बकाया आश्वासन पत्रों के अंतर्गत मूल्यांकित संचयी वित्तीय बाध्यता को अपने प्रकाशित वित्तीय विवरणों में लेखा पर टिप्पणी के एक भाग के रूप में प्रकट करना चाहिए ।

यह देखा गया कि भारत में बैंक विदेश में अपनी सहायक कंपनियां/शाखाएं खोलने के लिए विदेशी विनियामकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करने तथा भारत में अपनी सहायक कंपनियों की कुछ गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भी आश्वासन पत्र जारी करते आ रहे हैं। इन आश्वासन पत्रों का उद्देश्य (i) विदेशी और देशी विनियामकों को यह आश्वासन देना है कि मूल बैंक अपनी विदेशी/देशी सहायक कंपनियों का समर्थन करेगा यदि उन्हें भविष्य में किसी वित्तीय समस्या का सामना करना पड़े; तथा (ii) बैंक की भारतीय सहायक कंपनियों के निर्गम/उत्पाद का श्रेणी निर्धारण करनेवाली भारत की श्रेणी निर्धारक कंपनियों को यह आश्वासन देना है कि सहायक कंपनी को मूल बैंक का समर्थन उपलब्ध है।

शाखा बैंकिंग

6.5% बचत बांड 2003 (कर से इतर) की चुकौती

6.5% राहत बांड 2003 (कर से इतर) प्रतिव्यक्ति निवेश की तारीख के अनुसार 24 मार्च 2008 से चुकौती के लिए परिपक्व होंगे। एजेंसी बैंकों को बॉण्ड बही खाता (बीएलए) के अंतर्गत धारित बॉण्डों की चुकौती के संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सूचित किया गया :

निवेशकों को सूचना

धारकों को चुकौती के लिए बॉण्ड बही खाता में निवेश की तारीख से एक महीने पूर्व उनके बांडों की परिपक्वता की सूचना भेजी जानी चाहिए। धारकों को सूचना पंजीकृत/स्पीड डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए। एजेंसी बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल ऐसे बीएलए से संबंधित सूचना भेजी जाती है जो स्टॉपेज से मुक्त है ।

परिपक्वता पश्चात ब्याज

बांड परिपक्व होने के पश्चात कोई ब्याज उपचित नहीं होगा । अतः एजेंसी बैंकों को निवेशकों को प्रमुख रूप से सूचनाओं में सूचित करना चाहिए कि निवेश पर परिपक्वता पश्चात ब्याज नहीं मिलता है।

प्रमाणपत्र प्रदान करना :

- सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 के विनियम 24(2)(बी) के अनुसार बॉण्ड बही खाते के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति की परिपक्वता राशि का भुगतान पंजीकृत धारक को भुगतान आदेश द्वारा किया जाए अथवा किसी भी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा जहां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निधि प्राप्त होने की सुविधा हो। इस विनियम से यह आवश्यक नहीं होगा कि चुकौती के लिए निवेशक उन्मोचन रसीद प्रस्तुत करे और इससे एजेंसी बैंक त्वरित रूप से देय तारीख को परिपक्व बांड उन्मोचित कर सकेंगे और भुगतान सूचना प्रेषित कर सकेंगे। देय तारीखो को त्वरित रूप से उन्मोचन की सुविधा के लिए बीएलए धारक जिनके बैंक खातों के ब्यौरे आपके पास उपलब्ध न हो, उनसे संबंधित ब्यौरे माँगे जाएं तथा उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिपक्व राशि जमा कर दिए जाने के लिए अधिदेश माँगा जाए। किसी अधिदेश के अभाव में अब तक उन्मोचन प्रमाण पत्र की रसीद पर चुकौती की जाए।
- यदि चुकौती की राशि एक लाख रुपए से अधिक हो तो, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, निवेशकों को चाहिए कि वे अपने पैन/जीआईआर नंबर, अथवा यदि निवेशक के पास पैन/जीआईआर नंबर न होने पर वह फॉर्म सं. 60 में घोषणा करे।

भुगतान

i) हालांकि चुकौती के लिए रसीद पहले से प्रस्तुत की जाती है, तब भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्मोचित मूल्य का वास्तविक भुगतान केवल देय तारीख को किया जाए और यदि इलेकट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया जा रहा हो तो निवेशक के खाते में देय तारीख को ही राशि जमा की जाए और उससे पहले नहीं। राज्य सरकार द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत परिपक्वता की तारीख को छुट्टी की घोषणा की जाती है अथवा परिपक्वता की तारीख रविवार को हो तो चुकौती पिछले कार्य दिवस को की जाए।

ii) केवल बीएलए का रखरखाव करनेवाले बैंक शाखा द्वारा ही चुकौती की जानी चाहिए। निवेश (निवेशों) की समाप्ति के ब्यौरे अर्थात तारीख (तारीखों) तथा राशि (राशियों) का रखरखाव किया जाना चाहिए और पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित बीएलए में अनिवार्यतः प्रविष्टि की जानी चाहिए।

iii) यदि एक ही बॉण्ड बही खाता के बदले में कई निवेश किए गए हो तो उन अलग-अलग निवेशों का उन्मोचन उसमें दर्शाया जाना चाहिए तथा बॉण्ड बही खाता तथा अलग-अलग निवेशों के संबंध में परिपक्वता की तारीख और राशि का विधिवत उल्लेख करते हुए धारिता का एक नया विवरण निवेशक को दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बॉण्ड बही खाते में दर्शाए गए बकाए शेष और धारिता का विवरण समान रहे।

भुगतान आदेश की सुपुर्दगी

यदि चुकौती को भुगतान आदेश द्वारा किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाए की शोधन की तारीखवाला भुगतान आदेश तैयार कर रखा जाए तथा निवेशक के डाक द्वारा भेजने के अनुरोध पर प्रेषित किया जाए ताकि निवेशक को कम से कम एक दिन पहले प्राप्त हो और वरिष्ठ नागरिकों को तीन दिन पहले प्राप्त हो सके। भुगतान आदेश स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाए।

ब्याज भुगतान

जहां तक गैर-संचयी योजना के अन्तर्गत रखे बॉण्ड बही खाता (बीएलए) का संबंध है, वहां पिछली खंडित अवधि के लिए मूल राशि के साथ ब्याज का भुगतान किया जाए। चुकौती के लिए निवेशक द्वारा धारिता प्रमाणपत्र /निवेश का प्रमाणपत्र /उन्मोचन रसीद न देने के बावजूद ऐसे निवेशों से संबंधित ब्याज वारंटों को परिपक्वता की देय तारीख को प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे परिपक्व बॉण्ड बही खाते के ब्याज वारंट प्रेषित करते समय निवेशक को एक पत्र संबोधित किया जाना चाहिए कि उनका निवेश विनिर्दिष्ट तारीख को परिपक्व हो चुका है। निवेशक को बिना किसी चूक के यह सूचना दी जानी चाहिए कि "----/ ----/ ---- (परिपक्वता की तारीख) के पश्चात निवेश पर कोई ब्याज उपचित नहीं होगा "।

लेखांकन

मूल तथा ब्याज का अलग से लेखांकन होना चाहिए तथा अलग से स्क्रॉल आहरित किए जाना चाहिए तथा लेखा परीक्षा /सत्यापन के लिए अभिलेख में रखा जाना चाहिए।

रिपोर्टिंग

भारत सरकार को : पदनामित शाखाएँ योजना के अन्तर्गत बॉण्ड बही खाता के संबंध में चुकौती तथा बकाया दर्शानेवाला विवरण मासिक आधार पर नियंत्रक लेखा, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अपने लिंक कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तुत करें। मूल तथा ब्याज राशि से संबंधित चुकौती स्क्रॉल को अलग से आहरित किया जाना चाहिए ।

क्षेत्राधिकार के लोकऋण कार्यालय के लिए : क्षेत्राधिकार के लोकऋण कार्यालय को भेजी गई मासिक रिपोर्ट में आवश्यक रूप से चुकौतियों के ब्यौरे रहने चाहिए। मूलधन और ब्याज को अलग-अलग दर्शानेवाली चुकौती स्क्रॉल भी इसके साथ-साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रतिपूर्ति

एजेंसी बैंक केवल स्वयं के लिए चुकौतियों की प्रतिपूर्ति हेतु दावे का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे दावे सामान्य तौर पर मूलधन और ब्याज के लिए अलग-अलग समेकित स्क्रॉल के साथ संबंधित सहबद्ध कक्षों के माध्यम से नागपुर में रिजर्व बैंक केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस)को प्रस्तुत किए

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

जा सकते हैं। ये दावे आंतरिक/समवर्ती लेखापरीक्षकों से यह बतानेवाले एक प्रमाणपत्र द्वारा विधिवत् समर्थित होना चाहिए कि चुकौती के आँकड़ों की 100 प्रतिशत जाँच कर ली गई है और यह कि इस राशि का भुगतान निवेशकों को पहले ही कर दिया गया है।

शहरी सहकारी बैंक

भवन निर्माता/ठेकेदारों को अग्रिम

रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि शहरी सहकारी बैंकों को आवास परियोजना के एक भाग के रूप में भी भूमि के अधिग्रहण के लिए भवन निर्माताओं/ठेकेदारों को निधि आधारित/गैर-निधि आधारित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करानी चाहिए। साथ ही, जहाँ भूमि को संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किया गया है वहाँ ऐसी भूमि का मूल्यांकन केवल वर्तमान बाज़ार मूल्यों पर ही किया जाना चाहिए।

यह पाया गया था कि भवन निर्माताओं/ठेकेदारों को वित्तपोषित करते समय कतिपय बैंक जमानत के प्रयोजन के लिए भूमि पर निर्माण कार्य होने के बाद उसके रियायती मूल्य से निर्माण मूल्य को घटाकर उस आधार पर भूमि का मूल्यांकन कर रहे थे। यह स्थापित मानदण्डों के अनुरूप नहीं है।

आपको यह ज्ञात होगा कि नवंबर 1987 में शहरी सहकारी बैंकों को भवन निर्माताओं/ठेकेदारों को ऋणों तथा अग्रिमों की मंजूरी देने से बचने के लिए कहा गया था। जहाँ ठेकेदार स्वयं (अर्थात् जब किसी प्रयोजन के लिए उनके द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं प्राप्त किया जाता है) तुलनात्मक रूप से छोटे निर्माण कार्य करते है वहाँ शहरी सहकारी बैंक उन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/निदेशों तथा बैंकों के उप-नियमों के अनुरूप निर्माण सामग्री दृष्टिबंधक रखकर अग्रिम देने पर विचार कर सकता है।

विनियामक प्रयोजनों के लिए शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण को संशोधित किया गया

शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर टियर I बैंकों की परिभाषा में संशोधन किया गया है। तदनुसार विनियामक प्रयोजन से टियर I बैंक अब निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएँगे:

टियर I शहरी सहकारी बैंक

टियर I शहरी सहकारी बैंक में निम्नलिखित शामिल होंगे -

i) यूनिट बैंक अर्थात एक शाखा / प्रधान कार्यालय वाले बैंक तथा 100 करोड़ रुपये से कम जमाराशि वाले बैंक जिनकी शाखाएं एक ही जिले में स्थित हों।

ii) 100 करोड़ रुपये से कम जमाराशि वाले बैंक जिनकी शाखाएं एक से अधिक जिलों में स्थित हों बशर्ते शाखाएं सटे हुए जिलों में हों और प्रत्येक जिले में शाखाओं की जमाराशि और अग्रिम बैंक की क्रमश: कुल जमाराशि और अग्रिम का कम-से-कम 95 प्रतिशत हो।

iii) 100 करोड़ रुपये से कम जमाराशि वाले बैंक जिनकी शाखाएं मूल रूप में एक ही जिले में थीं परंतु जिले के पुनर्गठन के कारण बाद में वे बहु-जनपदीय बन गए ।

टियर II शहरी सहकारी बैंक :

टियर II शहरी सहकारी बैंकों में अन्य सभी बैंक शामिल हैं।

अब से आगे 100 करोड़ की जमाराशि आधार का निर्धारण संबंधित वित्तीय वर्ष में पखवाड़े की निवल मांग और मीयादी देयताओं के औसत के आधार पर किया जाएगा। उसी प्रकार अग्रिमों का निर्धारण संबंधित वित्तीय वर्ष के पखवाड़ा औसत आधार पर किया जाएगा।

संशोधित अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

इससे पहले शहरी सहकारी बैंकों को विनियामक प्रयोजन से निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया था;

टियर I बैंक : यूनिट बैंक अर्थात बैंक जिसकी एक ही शाखा/प्रधान कार्यालय है और जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये तक है तथा एक ही जिले में अनेक शाखाओं वाले बैंक जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये तक है

टियर II : अन्य सभी बैंक

ग्राहक सेवा

अगस्त 2007 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे पेंशन वितरित करनेवाली अपनी सभी शाखाओं को उपयुक्त अनुदेश जारी करें कि वे प्रतिरक्षा पेंशन भुगतान अनुदेश 2005 के प्रावधानों के अनुसार सशस्त्र सेनाओं के पेंशनधारियों को भुगतान किए जानेवाले विकलांगता पेंशन से आय कर की वसूली नहीं करें।

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म IV

1.	प्रकाशक का स्थान	:	मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3.	संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम राष्ट्रीयता और पता	:	अल्पना किल्लावाला भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेस संपर्क प्रभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई-400001
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	:	भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेस संपर्क प्रभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई-400001

मैं, अल्पना किल्लावाला, इसके द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(ह/-)

अल्पना किल्लावाला

दिनांक : 29 फरवरी 2008 प्रकाशक के हस्ताक्षर

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**